

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / यो. / गै.त / ह.तु / 16/15-16/3670 भोपाल दिनांक 8/9/2015
प्रति.

संयुक्त सचालक / उपसचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय - (समस्त)

विषय:-

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना के तहत सहायताओं
का हितग्राहियों को पूर्व अनुसार लाभ प्रदान करने के संबंध में।


संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बोर्ड/यो./गै.त/ह.तु/31/3384 दिनांक
31.03.2015

00000

उपरोक्त विषयात्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क. 3384 दिनांक 31.03.2015
में आंशिक संशोधन करते हुए योजना के संबंध में शासन स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक
18.03.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल की
गई योजनाओं को नवीन व्यवस्था लागू होने तक मण्डी बोर्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था अनुसार
हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाये। उपरोक्त अनुसार संशोधित 'मुख्यमंत्री
मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना (संशोधित वर्ष 2014)' अनुसार (तथा पूर्व
प्रक्रिया अनुसार) हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाये। हितग्राहियों को
संशोधित (वर्ष 2014) योजना का लाभ पूर्व प्रक्रिया अनुसार दिया जाना है। संबंधित समग्र
के नोडल अधिकारियों से रामबद्ध कर भुगतान की कार्यवाही की जाये।

अतः आगामी आदेश जारी होने तक मण्डी हम्माल एवं तुलावटियों को
संशोधित योजना कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/यो./गै.त/ह.तु/31/3170 दिनांक
15.09.2014 अनुसार स्वीकृत एवं भुगतान करने का कार्य समग्र द्वारा न किया जाकर मण्डी
बोर्ड (मण्डी समितियों) द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध सचालक द्वारा अनुमोदित।


अपर सचालक(योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

नोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जैल रोड, भोपाल

क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 72 / 2014-15 / 3170

भोपाल, दिनांक 15/09/2014

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड का आदेश क्रमांक/बी-८/नियमन/सहायता योजना/३६७४ दिनांक २७/०९/२००८ ह्याथ कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञापिताधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना २००८ दिनांक १३/०९/२००८ से प्रभावशील की गई है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संकल्प 2010 में संकल्प क्रमांक 37 द्वारा सभूत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत “मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008” को शामिल किया गया है। इस स्वरूप की विभिन्न योजनाएं शासन के अंतर्गत अन्य विभागों द्वारा संचालित हैं, उन सभी योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए म.प्र.राज्य कृषि विषयन बोर्ड द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008” में भी संशोधन किये गये हैं। यह योजना “मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014)” कहलाएगी। उक्त योजना आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

नान० अध्यक्ष महोदय हारा अन्जोदित ।

(असाधु प्राप्तिकरण)

प्रबंध संचालक

महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड

सौयाल

पट्टा. क / बोर्ड / घो. / गैर.तक. / 72 / 2014-15 / 317/

ओपाल, दिनांक 15/09/2014

प्रतिलिपि :—सूखनार्थी एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) विशेष सहायक, मान.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मोपाल।
 (2) प्रभुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मोपाल।
 (3) प्रभुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 (4) प्रभुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 (5) प्रभुख सचिव, स्पूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 (6) आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मोपाल।
 (7) मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, 1250, तुलसी नगर, भोपाल。
 (8) कलेक्टर, जिला म.प्र. (समस्त)
 (9) अपर संचालक(वित्त), मोपाल राज्य कृषि विधिन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर योजना में प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 (10) संयुक्त / उपसंचालक, मोपाल राज्य कृषि विधिन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर ऐज कर निर्देशित किया जाता है कि वे संशोधित योजना का कियान्वयन अधीनस्थ मंडी समिति में सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
 (11) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जिला (समस्त) की ओर ऐज कर निर्देशित किया जाता है कि योजना का प्रचार प्रसार किया जावे एवं संशोधित योजना के फिरान्वयन के लिये जारी निर्देशों का कड़ई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-संशोधित योजना की प्रति।

सेइथ सचालक
महाराजा कुमार विपणन शोर्ट्स
४. भोपाल

‘मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008’
(संशोधित वर्ष 2014)

१. **योजना का नाम :-**—गह योजना प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यसत् अनुज्ञापिधारी हम्माल एवं तुलावटी के सहायतार्थी है जो कि “मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना-2008” (संशोधित वर्ष 2014) कहलाएगी। योजना अंतर्गत पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटी एवं उसके परिवार के सदस्यों का डाटा ऑनलाइन कर रखना समग्र पोर्टल पर संधारण किया जायेगा।

- १.१. मण्डी हम्माल एवं तुलावटी से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 32 (क्रमांक 24 सन् 1973, मण्डी अधिनियम) के अधीन हम्माल या तुलावटी के लिए में अनुज्ञापि प्राप्त की हो और यह अनुज्ञापि वैध होने के साथ दी वह मण्डी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित मण्डी में निर्धारित कार्य कर रहा हो।
- १.२. मण्डी हम्माल एवं तुलावटी के परिवार से आशय वैध अनुज्ञापिधारी हम्माल एवं तुलावटी के पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, आश्रित माता-पिता, आश्रित विधवा पुत्री/बहन अथवा परित्यक्ता पुत्री/बहन से है।
- १.३. यह योजना प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विषयन बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश की विविध से प्रभावशील होगी।

२. **पात्रता :-**

- २.१. कृषि उपज मंडी समिति के ऐसे अनुज्ञापिधारी हम्माल एवं तुलावटी को सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिनकी अनुज्ञापि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा स्वीकृत की गई है तथा वह वैध है और वे कृषि उपज मंडी समिति में हम्माल या तुलावटी का कार्य कर रहे हैं।
 - २.२. पंजीकृत सत्यापित हितग्राही को समग्र पोर्टल के माध्यम से लाभ पहुंचाया जायेगा। इस हेतु समस्त मण्डी समितियों को ऑनलाइन रजिस्टर कर प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटी का ऑनलाइन पंजीकरण मण्डी सचिव द्वारा किया जायेगा।
- अपात्र :-**—योजना के प्रावधानों में न आने वाले आवेदक सहायता राशि के लिए अपात्र भाने जायेंगे।
- २.३. परिवार की परिमाण में न आने वाले व्यक्ति योजनान्तर्गत सहायता हेतु अपात्र माने जायेंगे।
 - २.४. इस योजना की कांडिका ४ के अधीन सहायता प्राप्त करने वाले हितग्राही अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे अथवा म.प्र. शासन की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। (अपात्र को छोड़कर)
 - २.५. ऐसे हम्माल तथा तुलावटी जो किसी भी कदाचरण के लिए दोषी पाए जाए हैं, वे इस योजना अन्तर्गत प्रावधानित सहायता के लिए यात्र नहीं माने जायेंगे।

३. **सहायता की दो रूपांक -**

- ३.१. प्रत्येक अनुज्ञापिधारी हम्माल एवं तुलावटी के लिये समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड, मुख्यमंत्री को निम्नानुसार राशि अपने वार्षिक बजट से उपलब्ध कराना होगा—

(तालिका-०१)

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति की श्रेणी	वार्षिक अंशदान की राशि प्रति अनुज्ञापिधारी हम्माल/तुलावटी
१.	‘क’ श्रेणी की समिति	300/- (तीन सौ रुपये भात्र)
२.	‘ख’ श्रेणी की समिति	260/- (दो सौ चालास रुपये भात्र)
३.	‘ग’ श्रेणी की समिति	150/- (एक सौ चालास रुपये भात्र)
४.	‘घ’ श्रेणी की समिति	100/- (सौ रुपये भात्र)

3.2. अनुज्ञापितारी हमाल एवं तुलावटियों की सहायता के लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कैंडिका 3.1 में-उल्लेखित अनुसार आवटित/जमा राशि के अतिरिक्त शेष निधि का आवटन भ.प्र.साज्य कृषि विषयन बोर्ड द्वारा "बोर्ड विकास निधि" से प्रत्येक वर्ष अपने बजट से किया जायेगा।

3. समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम – तमग्र सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत स्थीकृत की गई राशि का आहरण संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के खाते से किया जायेगा। भ.प्र. साज्य कृषि विषयन उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डी बोर्ड द्वारा योजना हेतु प्रावधानित बजट राशि में से प्रथम वर्ष 01 प्रतिशत एवं आगामी वर्षों में 0.5 प्रतिशत राशि प्रेशासकीय व्यय के लिये संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को उपलब्ध कराई जायेगी। योजना अंतर्गत किसी भी सहायता के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य आई.डी. आवेदन पत्र में उल्लेखित करना आवश्यक है।

योजनाओं के सुक्रियताकरण एवं सरलीकरण की दृष्टि से मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मण्डी हमाल एवं तुलावटी तथा उनके परिवार के लिए निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

(तालिका-02)

	अवयव	नोडल दिनांग
अ	स्वास्थ्य संबंधी – इसके अंतर्गत प्रसूति व्यय सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता एवं चिकित्सा सहायता।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
ब	छात्रवृत्ति – इसके अंतर्गत प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता।	स्कूल शिक्षा विभाग
स	सामाजिक सुरक्षा – इसके अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन, दीमा और अन्यथी सहायता।	सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय

4.1. स्वास्थ्य संबंधी सहायता के संबंध में बी.पी.एल. हितग्राहियों को सहायता का भुगतान नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति नोडल विभाग द्वारा ही अपने बजट से की जायेगी तथा ए.पी.एल. हितग्राहियों को सहायता का भुगतान भी नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति म0प्र० राज्य कृषि विषयन (मंडी) बोर्ड द्वारा अपने बजट से की जायेगी।

4.2. छात्रवृत्ति के संबंध में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. हितग्राहियों को भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा एवं जिसकी प्रतिपूर्ति म0प्र० राज्य कृषि विषयन (मंडी) बोर्ड द्वारा अपने बजट से की जायेगी।

4.3. सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता के संबंध में बी.पी.एल. हितग्राहियों को सहायता का भुगतान नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति भी नोडल विभाग द्वारा ही अपने बजट से की जायेगी तथा ए.पी.एल. हितग्राहियों को सहायता का भुगतान भी नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति म0प्र० राज्य कृषि विषयन (मंडी) बोर्ड द्वारा अपने बजट से की जायेगी।

स्वास्थ्य संबंधी सहायता :-

5.1. प्रसूति अवकाश सहायता – प्रसूति अवकाश सहायता प्रजीकृत हितग्राही अध्यव अजीकृत हितग्राही की पत्नी को अधिकतम प्रथम दो प्रसूतियों के लिए स्थीकृत की जाएगी। प्रसूति अवकाश सहायता प्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को हितग्राही/परिवार के सदस्य को प्रसूति हांने के पूर्व चिकित्सा अधिकारी का ग्रनाण यत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5.1.1. महिला हमाल/तुलावटी प्रसूता को भावृत्य अवकाश के रूप में अधिकतम प्रथम दो प्रसूतियों के लिए सहायता निधि से कलेक्टर द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में 45 दिन की निर्धारित प्रदलित मजदूरी के एवज में समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।

5.1.2. पुरुष हमाल/तुलावटी को प्रदलित अवकाश के रूप में अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए सहायता निधि से कलेक्टर द्वारा नवजात के पिता को अकुशल श्रमिक के रूप में 15 दिन की निर्धारित प्रदलित मजदूरी के एवज में समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।

- 5.1.3. प्रसूति अवकाश सहायता के अंतर्गत सहायता राशि की गणना के लिए श्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को मजदूरी की दरें निर्धारित की जावेगी जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू रहेंगी। इन दरों में बीच में बदलाव नहीं किए जायेंगे।
- 5.1.4. शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति होने पर ही प्रसूति अवकाश सहायता देख होगी। लेकिन ऐसी गर्भवती महिलाएं जो प्रराव के लिये जननी सुरक्षा एक्सप्रेस से रवाना हुई और उनका रास्ते में प्रसव हो जाता है तो ऐसे प्रसव को शासकीय चिकित्सालय में प्रसव माना जाकर प्रसूति अवकाश सहायता का लाभ दिया जायेगा।

5.2 प्रसूति व्यय सहायता—

- 5.2.1. शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति होने पर ही प्रसूति व्यय सहायता केवल जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय होगी। इसमें अधिकतम प्रसव की सीमा नहीं रहेगी।
- 5.2.2. प्रसूति व्यय सहायता में वे प्रसव भी सम्मिलित किए जायेंगे जो घर से चिकित्सालय आने के दौरान रास्ते में जननी सुरक्षा एक्सप्रेस बाहन में हुए हों।

चिकित्सा सहायता :— मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना अंतर्गत हितग्राही जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, उन्हें तथा उनके परिवार (कण्ठिका 1.2 में वर्णित) को एक वर्ष में दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30,000/- तक की चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 1,00,000/- तक की सहायता तथा नघ्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अधिकतम रूपये 2,00,000/- तक की सहायता एक वर्ष में पूरे योजना अवधि में प्राप्त करने की पात्रता होगी।

प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता :— छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापिताधारी हम्माल एवं तुलावटी के पुत्र-पुत्रियाँ जो 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हो, को तालिका-03 अनुसार योजना का लाभ प्राप्त होंगा।

6.1 अनुज्ञापिताधारी मण्डी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चों को निमानुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी :—

(तालिका-03)

कक्षा	छात्र	छात्रा
कक्षा 1 से 5	रुपये 500/-	रुपये 800/-
कक्षा 6 से 8	रुपये 1000/-	रुपये 1200/-
कक्षा 9 से 12	रुपये 1200/-	रुपये 1700/-

6.2 छात्र/छात्रा के कदाचार/परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने/शाला से छाप (गैप) लेने पर अपाव गाने जायेंगे।

6.3 उक्त छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अनुज्ञापिताधारी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य निर्धन वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा प्रवलित योजना के निर्धारित मापदण्ड के अंतर्गत योजना के लिये स्थापित कोष से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

6.4 यदि किसी छात्र/छात्रा के माता/पिता भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्द हितग्राही हैं तो वह म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा कर्मकार मण्डल द्वारा जारी योजना में से कोई एक छात्रवृत्ति द्युन सकेगा।

6.5 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये नोडल विभाग प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के मान से बजट में प्रावधान करायेंगे तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया से छात्रवृत्ति स्वीकृत कर राजि का आहरण कर विद्यार्थियों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करायेंगे।

6.6 छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिये होगी, अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा द्वारा एक ही कक्षा में पुनः प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

7. विवाह सहायता :- मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में सामूहिक विवाह प्रोत्साहन सहायता के अवयवों को मुख्यमंत्री कन्यादान एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत समेकित किया गया है। "विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी हम्माल तथा तुलावटी को विवाह पत्रिका संलग्न कर विवाह के 15 दिन पूर्व पदाभिहित अधिकारी को हस्ताक्षित आवेदन निर्धारित प्रारूप ने प्रस्तुत करना होगा।"
- 7.1 अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी की पुत्रियाँ, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, के विवाह/एक बार पुनर्विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के तहत देय होगी।
- 7.2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत परिवार की अधिकतम कन्या की सीमा शर्त नहीं है।
- 7.3 मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना के पंजीकृत हितग्राही की कन्या जिसका विवाह निवास स्थान से दूर सम्पन्न हुआ है, ऐसी कन्याओं का एकल विवाह माना जाकर कन्या की गृहरथी हेतु सहायता राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत अधिकृत पदाभिहित अधिकारी द्वारा रवीकृत की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन की राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। ऐसे प्रकरणों को जिनमें राशि स्वीकृत की जाना है का भुगतान बैक के माध्यम से कन्या के खाते में किया जायेगा।

8. बीमा सहायता —

- 8.1 राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के नायम से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये जनश्री बीमा योजना तथा खेतीहर भूमिहीन भजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीमित हितग्राही अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी को सामान्य मृत्यु दुर्घटना से मृत्यु तथा विकलांग होने की स्थिति में "आम आदमी बीमा योजना" के अनुसार निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध होगी:-

(तालिका-04)

क्र.	सहायता मंड	राशि रूपये
1	सामान्य मृत्यु होने पर	रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र)
2	दुर्घटना में मृत्यु होने पर	रूपये 75,000/- (रूपये पचाहतर हजार मात्र)
3.	दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर	रूपये 75,000/- (रूपये पचाहतर हजार मात्र)
4.	दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर	रूपये 37,500/- (रूपये सैतीस हजार पाँच सौ मात्र)
5.	कक्षा 9 से 12 तक केवल दो बच्चों को प्रति परिवार प्रतिमाह शिक्षावृत्ति	रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र)

- 8.2 मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 के ऐसे पंजीकृत अनुज्ञप्तिधारी मण्डी हम्माल एवं तुलावटी जिनका जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा नहीं हुआ है तथा वे बी.पी.ए.ल. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अथवा भूमिहीन हैं। ऐसे हम्माल एवं तुलावटी का जनश्री बीमा योजना/आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जायेगा। उक्त योजना के ऐसे हितग्राही जो बी.पी.ए.ल. श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका जनश्री बीमा योजना/आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किया जायेगा। इसमें उपरोक्त तालिका 04 अनुसार ही सहायता के लिए हितग्राही पात्र होगे। जिसके लिए प्रीमियम की राशि योजना के लिये स्थापित कोष से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उनके हितग्राही की संख्या के मान से सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराने हेतु राशि संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा भिजन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. अंत्येष्टी सहायता:-इस योजना में हम्माल तथा तुलावटी के पैशनधारी माता-पिता भी पात्र होंगे।
- 9.1 योजनान्तर्गत पंजीकृत अनुज्ञापिधारी मण्डी हम्माल एवं तुलावटी अथवा उसके परिवार (कड़िका 1.2 में वर्णित) के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टी सहायता प्रति अंत्येष्टी रूपये 2000/- के मान से तत्काल स्वीकृत कर ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9.2 अंत्येष्टी सहायता किसी भी लोक सेवक यथा हितंग्राही के निवास क्षेत्र के सरपंच/पंचायत सचिव/राजस्व निरीक्षक/पटवारी/ग्राम सेवक/कोटवार/आना प्रभारी में से किसी के द्वारा भी लिखित/मौखिक सूचना पर पुष्टि उपरात सरकार हेतु तत्काल मृतक के परिवार अथवा अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति/संस्था को दिया जायेगा।
- 9.3 अन्त्येष्टी सहायता हेतु आवेदन करने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना के आधार पर ही राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।

1. स्वीकृति के अधिकार – योजना अंतर्गत उल्लेखित प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री बण्डी हमाल एवं तुलायटी सहायता योजना-2008 (संशोधित योजना 2014) के अवयवों के अंतर्गत ही जालेवाली सहायता स्वीकृत करने हेतु सहम प्राधिकारी निम्नानुसार होगे –

योजना/ कार्यक्रम एवं उसके अवयव	दिवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाला सहम प्राधिकारी /पदाभिहित अधिकारी	प्रयोजन की सीमा	शांति
01.	02.	03.	04.	05.
समय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विन्हाविता कार्यक्रम	किसी अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करना	राज्य शासन, संचालक मिशन	पूर्ण शक्तियां कलेक्टर वो पूर्ण शक्तियां (जिले के अन्दर)	1. नए कार्यालय अथवा जहां पद रिक्त हैं। 2. स्थानान्तरण के फलस्वरूप, अन्य कोई कारण से
प्रसूति अवकाश सहायता योजना	गातृत्व अवकाश 45 दिन तथा पितृत्व अवकाश 15 दिन की भजदूरी के समतुल्य भजदूरी	-अधीक्षक भेड़िकल कालेज -सिविल सर्जन -खण्ड चिकित्सा अधिकारी -अधीक्षक/ संस्था प्रभारी	कार्यक्षेत्र के हितग्राहियों के लिए पूर्ण शक्ति	1. घोषित भजदूरी की दर पर 2. संस्था में प्रसव होने या अन्य प्रत्यक्षता के मापदण्ड होने पर
प्रसूति व्यय सहायता तथा जननी सुरक्षा योजना	1. शहरी क्षेत्र के लिए रुपये 1000/- 2. ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपये 1400/- 3. घर पर प्रसव होने की स्थिति में रुपये 500/- (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं)	—“—	—“—	
दीनदयाल अन्तर्रोदय उपचार योजना।	रुपये 30,000/- प्रति परिवार	—“—	—“—	एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लिए अधिकतम।
राज्य बीमारी सहायता योजना	बी.पी.एल. श्रेणी के गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति के उपचार हेतु	संभागीय आयुक्त कलेक्टर	रु. 02.00 लाख तक रु. 01.00 लाख तक	कलेक्टर/ संभाग स्तरीय समिति की अनुशासन पर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशासन से चिन्हांकित बीमारियों के उपचार हेतु भान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था में उपचार के लिए।

मुख्यमंत्री घाल हृदय उपचार योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों हेतु	कलेक्टर	रु. 1 लाख तक	संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा पर।
अधिक संवर्ग के योग्यता हिताहाई हेतु योजना।	आम आदमी बीमा (जनश्री बीमा) योजना के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति योजना।	एल.आई.सी. की अनुशंसा करने पर		जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा धारकों के अधिकतम 2 बच्चे जो कक्षा-9 से 12वीं में अध्ययनरत हैं के छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को अप्रेषित किए जाएंगे जिला शिक्षा अधिकारी इन आवेदन पत्रों को एल.आई.सी. कार्यालय को अप्रेषित करेंगे।
विवाह प्रोत्साहन से संबंधित योजना	1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2. मुख्यमंत्री निकाह योजना	1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत 2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 3.आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	पूर्ण शक्तियां (जिला पंचायत कार्यक्षेत्र के अंतर्गत) पूर्ण शक्तियां (जनपद पंचायत कार्यक्षेत्र के अंतर्गत) पूर्ण शक्तियां (उनके नगरीय क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत)	1.सामूहिक विवाह सहायता, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दरें अनुमोदन की शर्त के अधीन जो दर निर्धारित की जाएगी उस दर पर देय होगी। 2.सामूहिक विवाह सहायता केवल विवाह कार्यक्रम जिनमें न्यूनतम 5 कन्याओं का विवाह सम्पन्न होने की शर्त रहेगी। 3.स्वीकृतकर्ता अधिकारी हितयाहियों की प्राप्तता होने पर ही स्वीकृत करेगा। 4.एक कन्या को उसके जीवनकाल में एक बार विवाह सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। किन्तु विधवा/परित्यक्ता होने की स्थिति में एक बार विधवा/परित्यक्ता के रूप में केवल एक बार सहायता प्राप्त कर सकेंगे
	1.अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2.बाछड़ा—बेड़िया जाति विवाह प्रोत्साहन योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	पूर्ण शक्तियां जिले के भीतर	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर के अधीन।

बीमा सहायता योजनावें	जनश्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र— आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत	पूर्ण रावित (प्रकरण जांच घड़वाल उपरान्त क्लेम अनुशांसा कर एल.आई.सी. को भेजना)	1. श्रमिक संघर्ष के हितग्राहियों का प्रतिवर्ष पात्रता अनुसार जनश्री /आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने हेतु एल.आई.सी. को हितग्राहियों की सूची भेजना। 2. क्लेम की स्थिति में परीक्षण उपरान्त तय समय सीमा के भीतर क्लेम अनुशांसा सहित एल.आई.सी. को अग्रेपित करना।
अन्तर्देशी सहायता योजना।	अन्तर्देशी कार्य हेतु सहायता प्रदान की जाती है।	—“—	पूर्ण रावित (अधिकतम रूपये—2000/-) कार्यक्षेत्र के भीतर निवास करने वाले हितग्राहियों हेतु।	1. शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार। 2. लाकारिश शब्द के मामले में पुलिस थाने में दर्ज प्राधिक्रिय रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे निर्णय मृत्यु के एक माह के भीतर तक ही स्वीकृत किए जा सकेंगे।

2. आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय-सीमा एवं अपीलीय प्रावधान –

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए कार्यक्रम और उसके अवयवों को एक मिर्दारित समय-सीमा में रखीकृत नहीं होते हैं या पदाभिहित अधिकारी के आदेश से सहमत नहीं होते हैं आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :-

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	अपील के निराकरण की समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
01.	राज्य बीमारी सहायता निधि— रुपये 1.00 लाख तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अधिकतम 10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
	राज्य बीमारी सहायता निधि— रुपये 2.00 लाख तक	संभागीय आयुक्त	अधिकतम 15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	20 कार्य दिवस	सचिव, स्वास्थ्य सेवाएं
02.	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना ₹1.00 लाख	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अधिकतम 10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
03.	प्रसूति सहायता/प्रसूति अवकाश	सिविल सर्जन/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल /विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी	10 कार्य दिवस	कलेक्टर/ अनुदिभागीय अधिकारी	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त
04.	छात्रवृत्ति	संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर मा. वि. के प्राचार्य/डेंड मार्टर	30 दिन	जिला शिक्षा अधिकारी	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
05.	विवाह सहायता— 1.मुख्यमंत्री कन्यादान 2.मुख्यमंत्री निकाह योजना 3.निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 4.अंतर्जातीय विवाह	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र— आयुक्त नगर निगम/	15 दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 दिन	कलेक्टर,

	प्रोत्साहन योजना बांधा—बैड़िया जाति विवाह प्रोत्साहन योजना	मुख्य नगर पालिका अधिकारी				
06.	बीमा सहायता आम आदमी बीमा (जनश्री बीमा) योजना।	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र— आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (प्रकरण अंग्रेजित करने हेतु)	30 दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 दिन	कलेक्टर
07.	अन्तर्धित	ग्राम पंचायत नगरीय निकाय	उसी दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

- * समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को अंतर्गत कुछ कार्यक्रम लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी के अंतर्गत दिए गए हैं। उपरोक्त नए निर्देशों के अनुसार जिन कार्यक्रमों में पदाधिकारी बदले गए हैं उसकी अधिसूचना लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की जाएगी तथा ऐसे कार्यक्रम जो लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अविष्य में लोक सेवा प्रदाय गारंटी से जोड़े जायेंगे।
- * विवाह सहायता से सम्बन्धित अन्य योजना तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, बांधा—बैड़िया जाति विवाह प्रोत्साहन योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, यथायत् चालू रहेंगी, लेकिन इनके अंतर्गत सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा किया जायेगा।
- * अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं बांधा—बैड़िया जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के लिये बजट आवंटन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिये राशि निराश्रित निधि से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से स्वीकृत की जायेगी।

३. प्रशासनिक व्यवस्थाएं –

- ३.१. मण्डी समितियों द्वारा योजना के लिये स्थापित बजट में प्रावधानित राशि म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) को स्थानांतरित की जायेगी। मण्डी बोर्ड इस राशि को संग्रहित करने हेतु योजना के नाम से कोष की स्थापना एवं संचालन करेगा तथा संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा भिशन को यह राशि हस्तांतरित करेगा।
- ३.२. समग्र सामाजिक सुरक्षा भिशन को मण्डी बोर्ड से प्राप्त होने वाली राशि से प्राप्त होने वाली राशि और व्यय की जाने वाली राशि का लेखा जोखा पृथक से रखना होगा। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा जो लेखा / केंश बुक निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत संधारित करना होगा। ऐसी राशि से किए गए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य विवरण भी समय-समय पर प्रशासकीय विभाग (मण्डी बोर्ड) को देना होगा।

४. योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति :-

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए तथा योजना में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल